हरियाणा सरकार
रक्षा सेवायें कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 1999

संख्या सा.का.नि.52./संवि.अनु.309/99.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग (क्षेत्रीय अमला-ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

भाग I – सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग (क्षेत्रीय अमला) ग्रुप (ग) सेवा नियम, 1999, कहे जा सकते हैं ।

(2) ये राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषायें :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) "बोर्ड", से अभिप्राय है, जिला सैनिक बोर्ड ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "सरकार"से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(घ) संस्था से अभिप्रायः हैः-

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ;या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ङ.) "राज्य सैनिक बोर्ड" से अभिप्रायः है, हरियाणा राज्य सैनिक बोर्ड ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय हैः-

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; अथवा

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; अथवा

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सचिव" से अभिप्राय है, सचिव राज्य सैनिक बोर्ड ;

(ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा रक्षासेवाएं कल्याण विभाग (क्षेत्रीय स्टाफ) (ग्रुप ग) सेवा ;

(झ) "कर्मचारी चयन आयोग" से अभिप्रायः है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में उल्लिखित पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्ति किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,––

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल का प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, यूगाण्डा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व) टंगानीका और जंजीबार (जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह, समय–समय पर यथा संशाधित भारत सरकार कपर्मिक लोक शिकायत एवं पैंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक की व्याख्या के पद अधीन भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में न आता हो ।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है । किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(4) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक रक्षा सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति के समय सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालय रक्षा मुख्यालय द्वारा जारी की गई डिस्चार्ज बुक सेवा निवारण प्रस्तुत न करे :

परन्तु कोई कर्मचारी, जिसकी सेवायें रक्षा सेवा से निम्नलिखित कारणों से समाप्त की गई हों:––

(i) विपरीत रिपोर्ट ; या

(ii) अनुशासनिक आधार ; या

(iii) दुराचरण ; या

(iv) अकुशलता ।

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई कर्मचारी जो उचित प्राधिकारी द्वारा मानसिक रूप से असमर्थ प्रमाणित होने के कारण रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होगा ।

(5) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र कर्मचारी,––

(i) रक्षा सेवा से निवृत्ति के समय चिकित्सा प्रवर्ग आई वन वर्गीकरण का होना चाहिए तथापि निम्न वर्ग के भूतपूर्व सैनिक, जिसकर अयोग्यता रक्षा सेवा के कारण हुई हो, चिकित्सा प्रवर्ग के आई वन भूतपूर्व सैनिक के उपलब्ध न होने की दशा में, पर विचार किया जा सकता है ; और

(ii) सेवोन्मुक्त बुक (डिस्चार्ज बुक) के रिकार्ड के अनुसार चरित्र "अनुकरणीय" होना चाहिए । अनुकरणीय चरित्र के व्यक्तियों को उपलब्धता की दशा में, "बहुत अच्छा" चरित्र वालों पर विचार किया जा सकता है ।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को पच्चीस वर्ष की आयु से कम या पचास वर्ष की आयु से अधिक का हो :

परन्तु कल्याण संगठन कर्मचारियों के मामले में, उपरी आयु सीमा 52 वर्ष होगी :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई नियुक्ति विधिमान्य और कारगर नहीं होगी यदि आर्मड फोर्स से सम्बन्धित नियुक्तिधारी की सेवोन्मुक्त के पश्चात् की पांच वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त नही हो जाती है या वह उपरोक्त पांच वर्ष की सीमा के समाप्त होने के बाद सेवा में आता है ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियां सचिव, द्वारा की जायेगी ।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में, तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी योगयताओं में कर्मचारी चयन आयोग या बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवके पर पचास प्रतियात सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनलब्ध न हो । ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे ।

अयोग्तायें :

8. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो किसी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढ़ंग :

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:--

(क) मुख्य लिपिक की दशा में,--

(i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार का भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(ख) लिपिकों की दशा में,--

(i) 20 प्रतिशत सेवादारों और चौकीदारों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) कल्याण व्यवस्थापक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) चालक की दशा में,--

(i) 20 प्रतिशत सेवादारों और चौकीदारों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा ज्येष्ठता की ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

3. जब कभी कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रीति को निर्धारित करेगा जिसमें यह रिक्ति भरी जायेगी ।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर, नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा, नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति नियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि, परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो ,परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; और

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा, अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,--

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

ज्येष्टता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगाातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग–अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा एक ही तिथि को नियुक्त किए गये सदस्यों की दशा में रक्षा सेवा ज्येष्टता को, ज्येष्टता के रूप में गिना जायेगा :
परन्तु यदि ––

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्टता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्टता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिससे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ट होगा

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, सेवा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित है या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो ; अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पैशंन तथा अन्य सभी मामलों में सम्बन्ध मे जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप में उपबन्ध नही किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा उसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के

सदस्य समय, पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा या पुनः टीका लगवायेगा ।

राज्य निष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्य निष्टा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढ़ील देना आवश्यक या उचित हो, वहां यह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति :

20. हरियाणा जिला सैनिक, नौ सेनिक तथा वायु सैनिक बोर्ड सेवा (राज्य सेवा श्रेणी–III) नियम, 1970, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार के निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क
(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या स्थाई	अस्थाई	कुल	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य लिपिक	12	7	19	5000-150-7100-दक्षतारोध-150-7850 रुपये
2.	लिपिक	57	33	90	3050-75-3950-दक्षतारोध-80-4590 रुपये
3.	कल्याण व्यवस्थापक	96	56	152	4000-100-4800-दक्षतारोध-100-6000 रुपये
4.	चालक	12	7	19	4000-100-4800-दक्षतारोध-100-6000 रुपये

परिशिष्ट ख
(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव,यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	मुख्य लिपिक	--	**पदोन्नति द्वारा,-** (i) लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) 25 शब्द प्रति मिन्ट की गति से हिन्दी में अथवा 30 शब्द प्रति मिन्ट की गति से अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास किया हो ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,--** (i) लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी में अथवा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में टाईप टैस्ट पास किया हो ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iv) लिपिक व्यवसाय के भूतपूर्व जुनियर कमीशनड अधिकारी अथवा अन्य रैंक अथवा भारतीय वायु सेना अथवा भारतीय नौ सेना में समकक्ष पद पर :
2.	लिपिक	(i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या इसमें समकक्ष योग्यता; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	**पदोन्नति द्वारा,-** (i) सेवादार अथवा चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; और (ii) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष योगयता ;

		(iii) लिपिक व्यवसाय के भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अथवा अन्य रैंक अथवा भारतीय वायु सेना अथवा भारतीय नौ सेना में समकक्ष पद पर कोई व्यक्ति ।	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; और (iv) उसे विभागाध्यक्ष द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक स्तर की हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषाओं में विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । **स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,--** (i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष योगयता ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) लिपिक व्यवसाय के भूतपूर्व जे सी.ओ अथवा अन्य रैंक अथवा भारतीय वायु सेना अथवा भारतीय नौ सेना में समकक्ष पद पर, कोई व्यक्ति ।
3.	कल्याण व्यवस्थापक	(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष या उच्चतर योग्यता या सेना में शिक्षा का प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र या धारक या नौ सेना या वायु सेना से इसके समकक्ष प्रमाण पत्र ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अथवा भारतीय नौ सेना में इसके समकक्ष कोई अधिकारी ;	**स्थानन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,--** (i)मैट्रिक या इसके समकक्ष या उच्चतर योग्यता या सेना में शिक्षा का प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र का धारक या नौ सेना या वायुसेना से इसके समकक्ष प्रमाण पत्र ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अथवा भारतीय नौ सेना या वायु सेना में इसके समकक्ष कोई अधिकारी ,
4.	चालक	(i) हिन्दी सहित मिडल पास अथवा उसके समकक्ष ; (ii) चालक व्यवसाय में जे सी ओ रैंक से नीचे का भूतपूर्व सैनिक जिसने सेवा में चालक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की हो,	**पदोन्नति द्वारा,--** (i) चौकीदार अथवा सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) हिन्दी सहित मिडल पास अथवा इसके समकक्ष ; (iii) चालक व्यवसाय में

(iii) सिविल में चालक अनुज्ञप्ति रखता हो ;

जे सी ओ रैंक से नीचे का भूतपूर्व सैनिक, जिसने सेवा में प्रथम श्रेणी में चालक की परीक्षा पास की हो ;

(iv) सिविल में चालक अनुज्ञप्ति रखता हो,

स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वारा,––

(i) हिन्दी सहित मिडल पास या इसके समकक्ष ;

(ii) चालक व्यवसाय में जे.सी.ओ. रैंक के नीचे का भूतपूर्व सैनिक, जिसने सेवा में चालक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हो ;

(iii) सिविल में चालक अनुज्ञप्ति रखता हो ;

परिशिष्ट ग
((देखिये नियम 14(1))

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियो का स्वरूप	शास्ति लगाने के सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य लिपिक	सचिव	(i) वैयक्ति फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	सचिव	सरकार
2.	लिपिक				
3.	कल्याण व्यवस्थापक		(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ;		
4.	चालक		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के, पास है या संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना,		
			बड़ी शास्तियां		
			(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतनवृद्धियां रोकना ;		
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयपान में निम्नतर प्रक्रम पर, अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित के क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि कर समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		

(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिये साधारण रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा के सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।

परिशिष्ट घ

((देखिये नियम 14(2))

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	मुख्य लिपिक	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सचिव	सरकार
2.	लिपिक			
3.	कल्याण व्यवस्थापक			
4.	चालक			
		(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति		

राम एस. वर्मा,
मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVERNMENT
DEFENCE SERVICES WELFARE DEPARTMENT
Notification
The 24th May, 1999

No. G.S.R. 52/Const./Art. 309/99—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Defence Services, welfare Department Field Staff (Group C) Service, namely :--

PART-I GENERAL

Short title and commencement :

1. (1) These rules may be called the Haryana Defence Services, Welfare department Field Staff (Group C) Service Rules, 1999.

(2) They, shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires :--

(a) “Board” means the Zila Sainik Board ;
(b) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in service of the Government of India or any State Government ;
(c) “Government” means the Haryana Government in the Administrative Department ;
(d) “institution” means :--

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules ;

(e) “Rajya Sainik Board” means the Haryana Rajya Sainik Board ;

(f) “recognized university” means :--

(i) any University incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other University which is declared by Government to be a recognised University for this purpose of these rules .

(g) “Secretary” means the secretary, Rajya Sainik Board;

(h) “Service” means the Haryana Defence Service Welfare, Department Field Staff (Group C) Service;

(i) “Staff Selection Commission” means the Haryana Staff Selection Commission.

PART-II-RECRUITMENT OF SERVICE

Number and character of posts :

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

(1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :--

(a) a citizen of India ; or
(b) a subject of Nepal ; or
(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) r (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is an ex-serviceman covered under the expression of ex-serviceman as defined by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, department of Personnel and Training, as amended from time to time.

(3) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Staff Selection Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(4) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment unless he produces the discharge book/service particulars issued by the concerned records Office/Army Headquarters at the time of his discharge from Defence Service :

Provided that any official whose services have been terminated from Defence Service as a result of :--

(i) an adverse report ; or

(ii) disciplinary grounds ; or

(iii) misconduct ; or

(iv) inefficiency ;

shall not be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided further that any official who has been retired from defence Service on account of mental incapacity, certified by proper medical authority shall also not be eligible for appointment to nay post in the Service.

(5) Officials to be eligible for appointment to any post in the Service :--

(i) should bear classification of medical catergory AYE-ONE as at the time of discharge from the Defence Service. However, a low category ex-servicemen whose disability is attributable to military service may be considered in case of non-availability of medical category Aye-one Ex-serviceman ; and

(ii) should have possessed “exemplary” character as per record in the discharge book. Incase of non-availability of persons of exemplary character, those possessing “very good” character will be considered.

Age :

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty five years or more than fifty years of age on the last date of submission of application to the Staff Selection Commission or any other recruiting authority :

Provided that in the case of Welfare Organiser the upper age limit shall be 52 years :

Provided further that no such appointment shall be valid and operative if a period of five years since after discharge of the concerned appointee from Armed forces has already elapsed or he joins the service after the lapse of said five years limit.

Appointing authority :

6. All appointments to the posts in the Service shall be made by the Secretary.

Qualifications :

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of recruitment other than by the direct recruitment :

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Staff Selection commission or Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications :

8. No person, --

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

9. (1) Recruitment to the Service shall be made, --

(a) in the case of Head Clerk –

(i) by promotion from amongst clerks ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service or any state Government or the Government of India ;

(b) In the case of Clerks –

(i) 20% by promotion from amongst Peons and Chowkidars ; and

(ii) 80% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) in the case of Welfare Organiser –

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) in the case of driver –

(i) 20% by promotion from amongst Peons and Chowkidars ; and

(ii) 80% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) As and when any vacancy occurs or is about ot occur unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the manner in which the same shall be filled in.

Probation :

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain or probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that –

(a) any period, after such appointment, spend on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointing shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactory, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory :--

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extent his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

11. Seniority, interse of the members of Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment on same date, the defence Service seniority shall be taken as the seniority :

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer :

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority to such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under :--

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government ; a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government, a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) another State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Central Government or a Private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave, Pension and other matters :

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline penalties and appeals :

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the service, unless he has already do so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any to the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision :

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled castes, Backward classes, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings :

20. The Haryana District Soldiers, Sailors and Airmen's Board Service (State Service Class-III) rules, 1970, are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A
(See rule 3)

Sr.No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Perma-nent	Temporary rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Head Clerk	12	7	19	Rs.5,000-150-7,100-EB-150-7, 850
2.	Clerk	57	33	90	Rs.3,050-75-3,950-EB-80-4,590
3.	Welfare Organiser	96	56	152	Rs.4,000-100-4,800-EB-100-6,000
4.	Driver	12	7	19	Rs.4,000-100-4,800-EB-100-6,000

APPENDIX B
(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic Qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic Qualifications and experience if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Head Clerk		**By promotion—** (i) Five years experience as Clerk; (ii) Should have passed the type test at a speed of 25 words per minute in Hindi or 30 words per minute in English; (iii) Knowledge of Hindi utpo Matric Standard ; **By transfer or deputation—** (i) Five years experience as Clerk ; (ii) Should have passed the type test at a speed of 25 words per minute in Hindi or 30 words per minute in English ; (iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; (iv) A person from Clerical Trade from former service of Junior Commissioned Officer or other Rank or a person of the equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air Force ;
2.	Clerk	(i) A matriculate/Higher Secondary or equivalent qualification ; and (ii) Knowldege of Hindi upto Matric standard ;	**By promotion—** (i) Five years service as Peon or Chowkidar ; and (ii) Passed Matric/ Higher Secondary Part-I or its equivalent ; and

		(iii) A person from clerical trade from former service of Junior Commissioned Officer or other Rank or a person of the equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air force.	(iii) Knowldege of Hindi upto Matric Standard ; and
			(iv) He should pass a written departmental test in Hindi and English languages of the Matriculation level to be conducted by the Head of the department.
			By transfer or deputation --
			(i) A matriculate/ Higher Secondary or equivalent qualifications; and
			(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard
			(iii) A person from clerial Trade from former service of Junior Commissioned Officer or other rank or a person of the equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air force.
			By transfer or deputation--
3.	Welfare Organiser	(i) A matriculate or equivalent or higher qualifications or holder of Ist class education in the Army or an equivalent certificate from the Navy or Air force ;	(i) A matriculate or equivalent or higher qualifications or holder of Ist Class certificate of education in the Army or an equivalent certificate from the Navy or Air Force ;
		(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and	(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard and
		(iii) An ex-junior Commissioned Officer or an Officer of equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air Force.	(iii) An ex-junior Commissioned Officer or and Officer of equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air Force ;

			By Promotion –
4.	Driver	(i) Middle pass with Hindi or equivalent (ii) An Ex-serviceman from driver trade below the rank of Junior Commissioned Officer who should have passed Class-I driving test in the Services ; (iii) Should hold Civil Driving Licence	(i) five years service as Peon or Chowkidar ; (ii) Middle pass with Hindi or equivalent. (iii) An Ex-serviceman from driver trade below the rank of Junior Commissioned Officer who should have passed class-I Driving test in the Services ; and (iv) should hold civil driving licence ; **By transfer or deputation—** (i) Middle pass with Hindi or equivalent ; (ii) An ex-serviceman from driver trade below the rank of Junior commissioned Officer who should have passed Class-I driving test in Services; and (iii) Should hold Civil Driving Licence.

APPENDIX C
(See rule 14(1))

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority employed to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
			Minor Penalties –		
1.	Head Clerk	Secretary	(i) warning with a copy in the personal file (Character roll)	Secretary	Government
2.	Clerk		(ii) censure ;		
3.	Welfare Organiser		(iii) withholding of promotion ;		
4.	Driver		(iv) recovery from pay of the whole of part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government, or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and		
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;		

(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect ;

(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions or restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(ix) compulsory retirement ;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for further employment under the Government; and

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

(See Rule 14(2))

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Head clerk	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Secretary	Government
2.	Clerk			
3.	Welfare Organiser	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
4.	Driver			

RAM S. VARMA,
Chief Secretary to Government
Haryana.

PART IV
HARYANA GOVERNMENT
DEFENCE SERVICES WELFARE DEPARTMENT
CORRIGENDUM
The 31st October, 2002

In the Haryana Government, Defence Services Welfare Department, notification No.G.S.R.52/Const./Art.309/99, dated the 24th May, 1999, published in Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 26th May, 1999, in its authorized English translation, in the Haryana Defence Services Welfare Department Field Staff (Group C) Service Rules, 1999, in Appendix “B”, at serial No.2, under column 3, in item (iii), in the sixth line, for “Rank of”, read “Rank or”.

A.N.MATHUR
Chief Secretary to Government Haryana.

हरियाणा सरकार

रक्षा सेंवायें कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 दिसम्बर, 2007

संख्या सा0का0नि036/संवि0/अनु0309/2007.–– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रक्षा सेवायें, कल्याण विभाग (क्षेत्रीय अमला) (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1999, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. ये नियम हरियाणा रक्षा सेवायें, कल्याण विभाग (क्षेत्रीय अमला) (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2007 कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा रक्षा सेवायें, कल्याण विभाग क्षेत्रीय अमला ग्रुप ग सेवा नियम, 1999 जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः––

" परन्तु कल्याण संगठन तथा ओवरऑल–इन्चार्ज के मामले में उपरी आयु सीमा 52 वर्ष होगी :" ।

3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप–नियम (1) में,––

(i) खण्ड (घ) में, उप खण्ड (III) में, अंत में विद्यमान "1" चिहन के स्थान पर, "," चिहन प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ii) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात्ः–

(ड.) ओवर आल इंचार्ज की दशा में,––

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; द्वारा अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) लिपिक–कम–लाइब्रेरियन–कम–स्टोरकीपर की दशा में --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।" ।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में, खाना 1,2,3,4,5 तथा 6 के नीचे क्रम संख्या 4 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां, जोड़ दी जायेंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6
"5.	ओवरआल इंचार्ज	--	1	1	4000–100–4800–दक्षतारोध –100–6000 रूपये
6.	लिपिक–कम–लाईब्रेरियन –कम–लाईब्रेरियन	--	1	1	3050–75–3950–दक्षतारोध–80–4590 रूपये ।" ।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 1,2,3, तथा 4 के नीचे क्रम संख्या 4 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां, जोड़ दी जायेंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा
"5.	ओवर आल इचार्ज	(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष या उच्चतर योगयता या सेना में शिक्षा का प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र का धारक या नौ सेना या वायु सेना से इसके समकक्ष प्रमाण पत्र ;	(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष या उच्चतर योगयता या सेना में शिक्षा का प्रथत श्रेणी प्रमाण–पत्र का धारक या नौ सेना या वायु सेना से इसके समकक्ष प्रमाण पत्र ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; तथा	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; तथा
		(iii) भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अथावा भारतीय नौ सेना या वायुसेना मे इसके समकक्ष कोई अधिकारी	(iii) भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अथवा भारतीय नौ सेना या वायुसेना में इसके समकक्ष कोई अधिकारी ।
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा
6.	लिपिक–कम–लाईब्रेरियन–कम–स्टोरकीपर	(i) मैट्रिक/उच्चर माध्यमिक या इसके समकक्ष योग्यता ;	(i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष योग्यता ;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; तथा	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; तथा

(iii) लिपिक व्यवसाय के भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अथवा अन्य रैंक अथवा भारतीय वायुसेना अथवा भारतीय नौ सेना में समकक्ष पद पर कोई व्यक्ति ।	(iii) लिपिक व्यवसाय के भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अथवा अन्य रैंक अथवा भारतीय वायु सेना अथवा भारतीय नौसेना में समकक्ष पद पर कोई व्यक्ति । " ।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उनके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात् :--

1	2
"5.	ओवर आल इंचार्ज
6.	लिपिक-कम-लाईब्रेरियन-कम-स्टोरकीपर ।" ।

प्रमिला ईसर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

(Authroised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

DEFENCE SERVICES WELFARE DEPARTMENT

Notification

The 14th December, 2007

No.G.S.R.36/Const./Art.309/2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Defence Services, Welfare department Field Staff (Group C) Service Rules, 1999,namely :--

1. These rules may be called the Haryana Defence Services, Welfare department Field Staff (Group C) Service (Amendment)Rules, 2007.

2. In the Haryana Defence Services, Welfare Department Field Staff (Group C) Service Rules, 1999 (hereinafter called the said rules), in rule 5, for first proviso , the following proviso shall be substituted, namely :--

"Provided that in the case of Welfare Organiser and Overall-In-charge the upper age limit shall be 52 years."

3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (I)—

(i) in clause (d), in sub-clause (iii), for sign "." existing at the end, the sign "," shall be substituted ;

(ii) after clause (d), the following clauses shall be added, namely :--

"(e) in the case of Overall In-charge—
(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(f) in the case of Clerk-cum-Librarian-cum-Store Keeper—

(i) by direct recruitment ; or
(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any state Government or the Government of India.".

4. In the said rules, in Appendix A, under columns 1,2,3,4,5 and 6 after serial number 4 and entries thereagainst the following serial numbers and entries thereagainst shall be added at the end, namely :--

1	2	3	4	5	6
“5.	Overall In-charge	--	1	1	Rs.4000-100-4800-EB-100-6000
6.	Clerk-cum-Librarian-cum-Store Keeper		1	1	Rs.3050-75-3950-EB-80-4590.”.

5. In the said rules, in Appendix B, under columns 1,2,3, and 4 after serial number 4 and entries thereagainst the following serial numbers and entries thereagainst shall be added at the end, namely :--

1	2	3	4
			By transfer or deputation
“5.	Overall In-charge	(i) A matriculate or equivalent or higher qualifications or holder of Ist class certificate education in the Army or an equivalent certificate from the Navy or Air Force; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; and (iii) An ex-Junior Commissioned Officer or an Officer of equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air Force.	(i) A matriculate or equivalent or higher qualifications or holder of Ist class certificate education in the Army or an equivalent certificate from the Navy or Air Force ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) An ex-Junior commissioned Officer or an Officer of equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air Force.
			By transfer or deputation
6.	Clerk-cum-Librarian cum-Store-keeper	(i) A matriculate/higher secondary or equivalent qualification ; (ii) Knowldege of Hindi upto Matric standard; and	(i) A matriculate/higher Secondary or equivalent qualification; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and

	(iii) A person from clerical trade from former service of Junior Commissioned Officer or other Rank or a person of the equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air Force.	(iii) A person from clerical trade from former Service of Junior Commissioned Officer or other Rank or a person of the equivalent rank in the Indian Navy or Indian Air force .”.

6. In the said rules, in Appendices C and D, under columns 1 and 2, after serial number 4 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added at the end, namely:--

1	2
“5.	Overall Incharge
6.	Clerk-cum-Librarian-cum-Store Keeper.”.

PROMILLA ISSAR,
Chief Secretary to Government, Haryana.